



No 017381

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या 1062

वर्ष 2011-12

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि अम्बिका एडुकेशनल एंड वेलफेयर

सोसाइटी

होटल के.के. इंटरनेशनल, ओल्ड जी.टी. रोड, पो. धाना (पी.एस.-

ओरंगाबाद, जिला- ओरंगाबाद, पिन कोड- 824101 (बिहार)

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई।

आज तारीख 13 मई मास जुलाई वर्ष 2011 को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया।

संस्था निबन्धन अधिनियम-21, 1860 के अधीन निबन्धन विभाग मात्र संस्था का निबन्धन करता है। निबन्धन को संस्था के नाम में जारी करने का ना होने का प्रमाण या वित्तीय सहायता के प्रायोगिक अंगुलि नहीं माना जाए।

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना।

बि. स. मु. (निबन्धन), 1 — II — 10, 110 — 8-5-2010 —

Koushal K. K. Education Society
Chairman

Ambika Public School
Principal
Aurangabad (Bihar)